न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 139/2022

जीसीएमएस नम्बर : 2022/363

प्रार्थीः— **बनाम** **अप्रार्थीगण :—**

1. प्रतापराम पुत्र वोराराम
2. पीथाराम पुत्र वोराराम
3. सोहनलाल पुत्र वोराराम
4. चंदाराम पुत्र वोराराम
5. माणक पुत्र वोराराम

जातिगण चोयल सीरवी निवासीगण सवराड तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली

1. व्यवस्थापक ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड, ग्राम सवराड तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली
2. ग्राम पंचायत, सवराड़ जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत सवराड़ तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली राज.
3. ग्राम विकास अधिकारी, पदेन सचिव, ग्राम पंचायत सवराड, तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली राज.।

"पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994"

उपस्थिति :—

1. प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री गजेन्द्र दवे।
2. अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री सद्दाम काजी।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

—: निर्णय :—

दिनांक : 30/01/2025

प्रार्थीगण की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत ग्राम पंचायत सवराड द्वारा संकल्प संख्या 5 दिनांक 19.05.1963 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 17 के विरूद्ध पेश की है। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने वक्त बहस कथन किया कि प्रार्थीगण का कब्जासुदा, खरीदसुदा मालिकाना भूखण्ड ग्राम सवराड तहसील मारवाड जंक्शन के आबादी क्षेत्र में आया हुआ है। उक्त भूखण्ड प्रार्थीगण के पिता बोराराम पुत्र पन्नाजी जाति सीरवी ने प्रिंसिपल विक्रेता लालचंद वल्द चन्दमोल जाति महाजन जैन निवासी सोजत रोड़ से जरिये रजिस्टर्ड बेचान रजिस्ट्री से दिनांक 21.12.1966 को खरीद कर कब्जा प्राप्त किया, बेचान रजिस्ट्री उप पंजीयन अधिकारी खारची में बही संख्या 1 के वोल्यूम संख्या 6 में पृष्ठ संख्या 3132 पर पंजीबद्धसुदा है। उक्त भूखण्ड विक्रेता लालचंद के पूर्वज गंगराम जी का पट्टासुदा भूखण्ड था एवं वक्त खरीद से उक्त भूखण्ड प्रार्थीगण अपने परिवार सहित निवासरत है। प्रार्थीगण द्वारा अपने पुराने मकान को हटा कर उसकी जगह नया मकान का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने पर जैर निगरानी पट्टे की जानकारी प्राप्त हुई। ग्राम पंचायत ने पूर्व में जारी पट्टे पर जैर निगरानी पट्टा जारी किया, जो विधिविरूद्ध है। ग्राम पंचायत उक्त पट्टे को जारी करने से पूर्व कोई मिसल तैयार नहीं की, न ही कोई आपत्ति पत्र जारी किया, न ही प्रिंसिपल विक्रेता लालचंद को सुना गया। उक्त पट्टे पर न तो द्वितीय पृष्ठ पर प्रस्ताव

अति. जिला कलक्टर
पाली (राज.)

संख्या व दिनांक अंकित नहीं है और न ही खरीददार व ग्राम सेवक के हस्ताक्षर है। इसलिये ग्राम पंचायत द्वारा नियमों की पालना किये बगैर विधिविरूद्ध तरीक से जारी जैर निगरानी पट्टे को खारिज फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने दौराने बहस कथन किया कि ग्राम पंचायत ने नियमों की पालना करते हुये जैर निगरानी पट्टा जारी किया है। जैर निगरानी पट्टा जारी करते समय ग्राम पंचायत ने नियमानुसार मिसल तैयार कर आपत्ति नोटिस जारी किया है। अतः प्रार्थी द्वारा बिना विधिक आधारों के प्रस्तुत जैर निगरानी याचिका को खारिज फरमावे।

हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की श्रवणसुदा बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध सम्पूर्ण दस्तावेजों एवं अधीनस्थ न्यायालय के रेकर्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जैर निगरानी ग्राम पंचायत सवराड द्वारा संकल्प संख्या 5 दिनांक 19.05.1963 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 17 के विरूद्ध पेश की है। अधिवक्ता प्रार्थीगण का दौराने बहस मुख्य उज्र यह था कि उक्त भूखण्ड का पूर्व में राज दरबार द्वारा पट्टा जारी किया हुआ है। इस सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध राजदरबार द्वारा सम्वत् 1955 में ग्राम सवराड के जारी पट्टे की प्रतिलिपी के अवलोकन से यह जाहिर होता है कि उक्त पट्टे की पूर्व व उत्तर दिशा में रास्ता, पश्चिम दिशा में खरडा है जबकि जैर निगरानी पट्टे की पूर्व, पश्चिम तथा उत्तर दिशा में भी रास्ता अंकित है। उपरोक्त दोनों पट्टों के तुलनात्मक अध्ययन से यह जाहिर होता है कि उक्त भूखण्ड का राजदरबार द्वारा पूर्व में पट्टा जारी किया हुआ था। इसी प्रकार विक्रय विलेख दिनांक 11.01.67 के अनुसार जैर आराजी का बेचान लालचंद द्वारा प्रार्थीगण के पिता के पक्ष में किया गया। जिससे यह सुस्पष्ट होता है कि ग्राम पंचायत ने पूर्व में जारी पट्टे की भूमि पर पट्टा जारी किया है, जब पूर्व में जारी पट्टा प्रभाव में है तो पश्चातवर्ती पट्टा Ab Initio Void होने से भी अपास्त योग्य है। जिसके सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टान्त 1998 DNJ 560 अुनसार – पंचायत ने प्रार्थी को 1963 में आबादी क्षेत्र में एक भूखण्ड आंवटित किया – पंचायत ने अप्रार्थी सं. 5 को भूखण्ड विक्रय किया और विक्रय की पुष्टि की – विधि अनुसार प्रार्थी का पट्टा निरस्त नहीं किया – पंचायत ने पट्टा निरस्त करने की अधिकारिता न होने से आधार पर आवंटन बहाल रखा – जब तक निरस्त न किया जाये आवंटन प्रभाव में रहता है – अप्रार्थी संख्या 5 के पश्चातवर्ती विक्रय बिना अधिकारिता के है, याचिका निरस्तारित की। इसी प्रकार AIR 1998 Raj Page 282 श्रीमती सरोज बनाम ग्राम पंचायत व अन्य में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि "पूर्व में जारी पट्टे के अस्तित्व में रहते उसी भूमि पर दुसरा पट्टा जारी नहीं किया जा सकता हैं।"

राजस्थान पंचायती राज नियम, 1961 में पट्टा जारी करने की प्रक्रिया विहित है। जिसके अनुसार नियम 256 के तहत पंचायत से कोई भी आबादी भूमि खरीदने का इच्छुक कोई व्यक्ति पंचायत को लिखित आवेदन, उसमें उसका ऐसा विवरण देते हुए प्रस्तुत करने के प्रावधान है, जो क्रय के लिये प्रस्तावित भूमि की पहचान के लिये पर्याप्त हो तथा आवेदन के साथ नक्शा तैयार करने के व्यय पेटे दो रूपये की राशि जमा करानी होगी। इसके पश्चात नियम 257 के तहत नक्शा तैयार किया जायेगा एवं नियम 258 के तहत मौका निरीक्षण हेतु तीन पंचों की कमेटी मनोनीत करने तथा पंचों द्वारा "क से घ" के बिन्दुओं पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के प्रावधान है। नियम 259 के तहत अस्थायी निर्णय करने

अति. जिला कलक्टर
पाली (राज.)

एवं नियम 260 के तहत एक माह की अवधि के भीतर आपत्ति आमन्त्रित करने को नोटिस जारी कर प्रकाशित करने के प्रावधान है। नियम 260 के अधीन जारी सूचना के प्रत्युत्तर में प्राप्त आक्षेप के निस्तारण के प्रावधान नियम 261 के तहत प्रदत्त हैं। नियम 262 के तहत भूमि को नीलाम करने की प्रक्रिया विहित है। नियम 263 के तहत भुगतान तथा भुगतान न करने पर पुनविक्रय के प्रावधान है एवं नियम 264 के तहत नीलामी की प्रक्रिया उल्लेखित है व नियम 265 के तहत किये गये नीलाम की पुष्टि के प्रावधान है। नियम 266 के तहत निजी बातचीत द्वारा आबादी भूमि का हस्तान्तरण एवं भूमियों का निःशुल्क आंवटन के प्रावधान नियम 267 में उल्लेखित है। नियम 268 के तहत हस्तान्तरण तथा आवंटन अनुमोदनाधीन एवं आबादी का विक्रय से अपवर्जन के प्रावधान नियम 269 में प्रदत्त है। किसी आबादी भूमि का नियम 263 के तहत भुगतान कर दिया जाने, नियम 265 नीलामी की पुष्टि करने और नियम 270 के अधीन कोई अपील नहीं होने की स्थिति में नियम 271 के तहत विक्रय–विलेख जारी किये जाने का प्रावधान है। जैर निगरानी याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1961 के नियम 266 के तहत जारी किया गया हैं। जिसका परिक्षण एवं वैद्यता की जांचने के लिए ग्राम पंचायत के रेकर्ड की उपलब्धता वांछनिय है, ग्राम पंचायत ने अपने पत्र दिनांक 29.05.2024 के द्वारा प्रकरण से सम्बन्धित पट्टा बुक एवं मिसल उपलब्ध करवायी तथा ग्रामसभा बैठक रजिस्टर रिकार्ड में उपलब्ध नहीं होना बताया। ग्राम पंचायत के समक्ष जैर निगरानी पट्टे से सम्बन्धित बैठक कार्यवाही रजिस्टर ही नहीं है, जो हस्तगत पट्टे को सन्देहास्पद बनाती है। ग्राम पंचायत ने अप्रार्थी को गुप्त तरीके से पट्टे देने एवं उपकृत करने के लिए पट्टा आवंटन के सामान्य नियमों की अनदेखी की गई हैं। इसलिये हस्तगत निगरानी याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को कायम रखा जाना विधिक प्रतीत नहीं होता हैं। अतः प्रकरण पुनः जांच कर विधिवत सुनवाई हेतु पंचायत को प्रतिप्रेषित किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित प्रतीत होता है, जिससे प्रकरण में राजस्थान पंचायती राज नियमों की पालना करते हुये विधिनुसार कार्यवाही की जा सके।

परिणामस्वरूप अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका आंशिक स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत सवराड़ द्वारा संकल्प संख्या 5 दिनांक 19.05.1963 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 17 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की सत्यप्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय अभिलेख, ग्राम पंचायत सवराड़ को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता है वे पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में विहित प्रक्रिया की पालना करते हुये विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 30/01/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

अति. जिला कलक्टर
पाली (राज.)